

प्रेषक

जिलाधीश, फतेहाबाद।

सेवा में


1. पुलिस अधीक्षक, फतेहाबाद।
  2. उपमण्डल अधिकारी (ना0) रतिया।
  3. कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें), फतेहाबाद।
  4. कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग नैशनल हाईवे हिसार।
  5. कार्यकारी अभियन्ता द0ह0बि0वि0 निगम लि0, टोहाना।
  6. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हिसार।
  7. जिला राजस्व अधिकारी, फतेहाबाद।
  8. जिला खादय एवं पूर्ति नियन्त्रक, फतेहाबाद।
  9. जिला नगर योजनाकार, फतेहाबाद।
  10. वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद।
  11. अग्निशमन अधिकारी, फतेहाबाद।
  12. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नागपुर।
- क्रमांक 438-50 /पी0एल0ए0 दिनांक 24/02/2021.

Sub:- Application for No Objection Certificate for establishment of Retail Outlet (Petrol Pump) at proposed location at Khasra No. 138//11/2, in Village Haroli on Ratia-Sardulgarh Road (MDR 101), Block Nagpur, District Fatehabad (Haryana).

उपरोक्त विषय पर आपको अवगत करवाया जाता है कि मै0 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने वरिष्ठ मण्डलीय प्रबन्धक (रिटेल सेल), हिसार मण्डल कार्यालय, हिसार के माध्यम से एवं अपने पत्र क्रमांक HDO/NOC/VILLAGE HAROLI दिनांक 27.01.2021 द्वारा इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि वे Khasra No. 138//11/2 in Village Haroli on Ratia-Sardulgarh Road (MDR 101), Block Nagpur, District Fatehabad में रिटेल आउटलेट स्थापित करना चाहते हैं। जिसके लिए उन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बारे अनुरोध किया है।

अतः कम्पनी से प्राप्त प्रार्थना पत्र, प्रस्तावित जगह का नक्शा एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्राप्त अनुलग्नकों आदि की छाया प्रति आपको साथ भेजकर अनुरोध है कि प्रस्तावित स्थल का मौका निरीक्षण करके अपनी आपत्ति/अनापत्ति रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें। मौका निरीक्षण के दौरान इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 252-72/पी.एल.ए. दिनांक 04.02.2020 में वर्णित सम्बन्धित विन्दुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट भेजी जाए।

सलग्न:- उपरोक्त।

  
कृते: जिलाधीश, फतेहाबाद।